न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 95/2016 दायरा दिनांक : 22.02.2016

उनवान

1— केदार लाल आयु साल पुत्र श्री मूलचन्द उर्फ मूल्या, जाति बैरागी, निवासी हाल पांडूहेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

2— जगदीश आयु साल पुत्र श्री मूलचन्द उर्फ मूल्या, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— केदार लाल पुत्र श्री शंकर लाल, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

2— हरिबल्लभ पुत्र श्री शंकर लाल, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

3— राधेश्याम पुत्र श्री शंकर लाल, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

4— सुन्दर लाल पुत्र श्री शंकर लाल, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

5— प्रकाश पुत्र श्री छीतरदास, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

6— महावीर पुत्र श्री छीतरदास, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

7— चन्द्रकान्ती बेवा श्री छीतरदास, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

8— प्रहलाद पुत्र श्री गोपाल दास, जाति बैरागी, निवासी हाल बल्हारपुर, तहसील छबडा, जिला बारां

9— कंवरी बाई उर्फ केकयी पुत्री श्री गोपालदास पत्नी मेघराज, जाति बैरागी, निवासी बल्हारपुर हाल सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कृष्णकांत अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 78/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2016 वाद अन्तर्गत धारा 183, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध धारा 223 के तहत अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने वादीगण के विरूद्ध एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 9 की पैतृक सम्पत्ति जो वाद पत्र में वर्णित है उसके अनुसार खसरा नम्बर 102 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में अपीलांट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 75 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 378 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में अपीलांट का 5/9 व रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 का 4/9 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 151 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में अपीलांट का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट

संख्या 5 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । अपीलांट एवं रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 9 अपने अपने हिस्से और मौके की स्थिति अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं और उसी अनुसार मुताबिक बंटवारा करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे के तथ्य एवं दस्तावेजों पर गौर न करते हुए अपीलांट एवं वादीगण का वाद दिनांक 13.01.2016 को निरस्त किया गया, जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है क्योंकि उपरोक्त आराजी पैतृक होने से बेचान की गई भूमि का प्रतिफल राशि दोनों पक्षों ने प्राप्त किया है एवं इसी अनुसार दोनों पक्षों के मध्य में उपरोक्त आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बंटवारा किया जाना चाहिए था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर अपीलांट का दावा खारिज किया, जो विधि संगत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उपरोक्त आराजी पैतृक है परन्तु अपीलांट के द्वारा अपने हिस्से का बेचान अन्य पक्ष को कर दिया गया है, जिसे अपीलांट के बेचान दस्तावेजों में मूलचन्द पुत्र माधोदास द्वारा स्वीकार भी किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है एवं यथावत रखा जावे ।

हमारे द्वारा पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों एवं निर्णय का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बेचान जो मूलचन्द पुत्र माधोदास द्वारा किया गया है इसमें मूलचन्द द्वारा बेचान के अन्तर्गत यह लिखा गया है कि उपरोक्त पैतृक आराजी का मेरे और मेरे भाई शंकर पुत्र माधोदास के मध्य (तकासमा) मौखिक बंटवारा हो गया है तथा उनके द्वारा स्वयं के हिस्से का बेचान के सम्बन्ध में दस्तावेज में अंकन भी किया गया है । यह स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी पैतृक थी एवं उसमें से मूलचन्द पुत्र माधोदास द्वारा अपने हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान तृतीय पक्ष को किया जा चुका है, जिसको कभी भी किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उपरोक्त आराजी के बेचान से जो प्रतिफल प्राप्त हुआ उसका बंटवारा दोनों के मध्य किया गया । किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि मूलचन्द जी स्वयं द्वारा बेचान दस्तावेज में बाहमी बंटवारा व अपने हिस्से का बेचान करने का अंकन किया है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील में की गई प्रार्थना पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों से विपरीत है एवं सिद्ध नहीं होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्णय दिनांक 13.01.2016 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के मध्य नजर उचित एवं सही है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा